

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार,
प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय,
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बिहार,
निदेशक, हृदय रोग संस्थान पटना
निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना
निदेशक, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना
निदेशक, राजेन्द्र नगर आर्ड अस्पताल, पटना
निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान पटना
अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक 23/8/2017

विषय : चिकित्सकों को अनुबंध के आधार पर नियोजन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-74(2) दिनांक-25.1.2017 के द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका 4(iv) को संशोधित करते हुए निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-

चयन का आधार उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक होगा। जिन पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है उन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर डिग्री प्राप्त चिकित्सकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन में उच्चतर डिग्री धारकों की उपलब्धता अधिक होने पर उच्चतर डिग्री के प्राप्तांक को आधार बनाकर मेधा सूची बनाया जायेगा।

विश्वरामाजन,

ह०/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 23/8/2017

ज्ञापांक-2/एम-52/2017-

762 (2)

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर सूचना हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।